<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टि0ए0/5437/2003/हनुमानगढ
सहायक वन संरक्षक बनाम मोहर सिंह</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>**10.11.2020**</td><td>

<u>एकल पीठ</u>
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितिः—
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, राज0 उप अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुनील कडवासरा, अधिवक्ता अप्रार्थी

<u>निर्णय</u>
हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्वव), भादरा के निर्णय दिनांक 11–3–2003 प्रकरण संख्या 423/02 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में दिनांक 5.11.2020 को उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत की गई।

योग्य राजकीय उप अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से दौराने बहस कथन किया कि मूल वाद का निस्तारण दिनांक 12–3–2003 को हो गया है, अतः निगरानी को इसी अनुसार निस्तारित किया जाए। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वादपत्र संख्या 423/02 में पारित आदेश दिनांक 11–3–2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। मूल वाद का निस्तारण हो गया है अतः यह निगराजी प्रभावहीन हो चुकी है। अतः निगरानी प्रभावहीन होने से खारिज की जाए।

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि मूल वादपत्र संख्या 423/02 मोहर सिंह बनाम सरकार में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की है किन्तु जैसा कि अधीनस्थ न्यायलाय की आदेशिका के अवलोकन से ही सुस्पष्ट है कि दिनांक 12–3–2003 को दावा वादी डिक्री किया जा चुका है, अतः इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के स्तर से मूल वाद का निस्तारण हो चुका है जिससे अब यह निगरानी प्रभावहीन हो चुकी है। स्पष्ट है कि मूल वाद का निस्तारण हो जाने से यह निगरानी प्रभावहीन हो जाती है, अतः निगरानी प्रभावहीन होने से **खारिज** की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य</td><td></td></tr>
</table>